

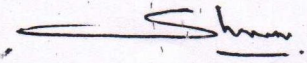
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रशासनिक आदेश

दिनांक : अक्टूबर 24, 2025

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति/निर्देश के अधीन रिमाण्ड कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु पूर्व पारित आदेशानुसार रिमाण्ड अवधि माह अक्टूबर (दिनांक 23-10-2025) में समाप्त होने के उपरान्त, निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा माह अक्टूबर दिनांक 24-10-2025 से दिनांक 31-10-2025 माह नवम्बर एवं दिसम्बर दिनांक 31-12-2025 तक के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य एवं प्रतिदिन कम्प्यूटर अनुभाग में जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा धारा 167 दंडप्र0सं0 एवं 187 भा0ना0सु0सं0 का रिमाण्ड कार्य निष्पादित किया जायेगा।

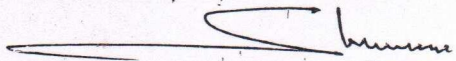
क्र. संख्या	माह	नाम अधिकारी	न्यायालय
1.	अक्टूबर 2025 दिनांक 24-10-2025 से दिनांक 31-10-2025 तक	श्री आशुतोष वर्मा	अपर सिविल जज (क0प्र0) कोर्ट संख्या-03, अलीगढ़।
2.	नवम्बर 2025	श्रीमती सौम्या मिश्रा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01, अलीगढ़।
3.	दिसम्बर 2025 दिनांक 01-12-2025 से दिनांक 24-12-2025 तक	श्री आशीष सिंह	सिविल जज(क0प्र0)/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-02, अलीगढ़।
4.	दिसम्बर 2025 दिनांक 25-12-2025	श्री आशीष सिंह	सिविल जज(क0प्र0)/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-02, अलीगढ़।
5.	दिसम्बर 2025 दिनांक 26-12-2025	श्रीमती अलका सिंह	सिविल जज(क0प्र0)/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-01, अलीगढ़।
6.	दिसम्बर 2025 दिनांक 27-12-2025	श्री आशुतोष वर्मा	अपर सिविल जज (क0प्र0) कोर्ट संख्या-03, अलीगढ़।
7.	दिसम्बर 2025 दिनांक 28-12-2025	श्रीमती रुडिगा सिंह	अपर सिविल जज (क0प्र0) कोर्ट संख्या-02, अलीगढ़।
8.	दिसम्बर 2025 दिनांक 29-12-2025	श्री विजय चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03, अलीगढ़।
9.	दिसम्बर 2025 दिनांक 30-12-2025	श्रीमती ज्योति वर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02, अलीगढ़।
10.	दिसम्बर 2025 दिनांक 31-12-2025	श्रीमती सौम्या मिश्रा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01, अलीगढ़।



नोट :-

1. माह अक्टूबर दिनांक 24-10-2025 से माह दिसम्बर दिनांक 31-12-2025 तक नामित न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिनों में प्रतिदिन रिमाण्ड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. कम्प्यूटर अनुभाग में वीडियो, कॉन्फ्रैन्सिंग से किये गये रिमाण्ड कार्य की प्रगति आख्या समय 04:00 बजे तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. रिमाण्ड अवधि में नामित रिमाण्ड अधिकारी के अवकाश पर रहने पर रिमाण्ड कार्य प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
4. रिमाण्ड अवधि में किसी रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने की स्थिति में आपसी सामंजस्य से सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट किसी अन्य रिमाण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति (अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करने के उपरान्त) के आधार पर अवकाश पर जा सकते हैं।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांक :- अक्टूबर 24, 2025


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 24.10.25
अलीगढ़।